

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या- 4075 -औस/2011-11(4)एफ/86 (वो-111)

दिनांक 22 दिसम्बर, 2011

विषय :- लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद के आदेश संख्या-603-डब्लू०सी०/राविप(औस-उन्नीस)89-11(3)(एफ)88, दिनांक 10.05.1989 एवं आदेश संख्या-4596-औस/राविप-17/97-11(3) एफ/88, दिनांक 28.07.1997 एवं आदेश संख्या-3663-औस-17/पाकालि/2002-11(4)एफ/86, दिनांक 04.10.2002 संख्या-3637-औस-17/पाकालि/2003-11(4)एफ/86, दिनांक 21.07.2003 में निहित व्यवस्था/ प्राविधानानुसार विभागीय सेवकों/सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं पारिवारिक पेंशनरों व उनपर पूर्णतः आश्रित परिजनों के लम्बी अवधि तक बाह्य रोगों की स्थिति से चलने वाली बीमारियों के उपचारार्थ चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य चिकित्सा परिषद/मण्डल चिकित्सा परिषद की संस्तुति/अनुशंसाओं पर स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया सम्प्रति कारपोरेशन में प्रभावी थी।

चिकित्सा अनुभाग की अधिसूचना संख्या-2275/5-6-11-1082-87, दिनांक 20.09.2011 द्वारा शासन में राज्य चिकित्सा परिषद के संस्तुतियों के आधार पर चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की प्रचलित व्यवस्था को समाप्त कर दिया है, जिसके फलस्वरूप कारपोरेशन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पूर्ववर्ती परिषद एवं कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश संख्या-603-डब्लू०सी०/राविप(औस-उन्नीस) 89-11(3)(एफ)88, दिनांक 10.05.1989 एवं आदेश संख्या-4569-औस/राविसप-17/97-11(3)एफ/88, दिनांक 28.07.1997 एवं आदेश संख्या-3663-औस-17/पाकालि/2002-11(4)एफ/86, दिनांक 04.10.2002 संख्या-3637-औस-17/पाकालि/2003-11(4)एफ/86, दिनांक 21.07.2003 संख्या-1124-औस/08-11(17)ए०एस०/05, दिनांक 28.03.2008, संख्या-2136-औस/2010-11(4)एफ/86(वो-1), दिनांक 05.06.2010 संख्या-3376-औस/2010-11(4)एफ/86(वो-1), दिनांक 16.08.2010 को अतिक्रमित करते हुए कारपोरेशन के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उनके आश्रितों एवं पारिवारिक पेंशनर की बाह्य रोगी के रूप में लम्बी अवधि तक चलने वाली गम्भीर बीमारियों, जिनका उपचार एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि तक किया जाना है, के उपचार पर औषधियों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में एतद्वारा निम्नलिखित व्यवस्था प्रतिपादित की जाती है जो दिनांक 01.01.2012 से प्रभावी होगी तथा 31.12.2011 तक हुए उपचार की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित कार्मिक/रोगी को उसकी पूर्व में राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुतियों के आधार पर अनुमन्य की जायेगी :-



22/12/11

-----2

- क- कारपोरेशन के जो कार्मिक बाह्य रोगी के रूप में लम्बी अवधि तक चलने वाली गम्भीर रोगों के इलाज में औषधियों पर व्यय करते हैं। उसकी प्रतिपूर्ति हेतु अब राज्य चिकित्सा परिषद के स्थान पर राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के चिकित्सा संस्थान/मेडिकल कालेज/चिकित्सालय के सम्बन्धित रोग के विभागीय रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष (रोग का उपचार करने वाले)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ऐसी चिकित्सा में औषधियों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की संस्तुति हेतु अर्ह/अधिकृत किया जाता है, और उनके द्वारा बाह्य रोगी हेतु निर्धारित फोटोयुक्त अनिवार्यता प्रमाण पत्र (Essential Certificate) एवं व्यय सम्बन्धी ऐसे बीजकों के सत्यापन किये जाने के उपरान्त रोगी कर्मचारी द्वारा कारपोरेशन के सक्षम स्तर पर ऐसे बीजकों को प्रस्तुत करने पर कारपोरेशन के सक्षम स्तर पर ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य की जाये।
- ख- बाह्य रोगी के रूप में गम्भीर रोगों के सम्बन्ध में लम्बी अवधि तक कारपोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों जिनकी सूची निम्नवत् इंगित है, में चलने वाली चिकित्सा में औषधियों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु उक्तानुसार इंगित किये गये निजी चिकित्सालयों यथा निजी सुपर स्पेशियलटी/एकल विशिष्टता के चिकित्सालयों के सम्बन्धित रोग विशेषज्ञ/अधिकृत चिकित्सक संलग्न सूची में इंगित सूचीबद्ध सुपर स्पेशियलटी/एकल विशिष्टता के चिकित्सालयों के सम्बन्धित रोग के विशेषज्ञ/अधिकृत चिकित्सक को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की संस्तुति/सत्यापन हेतु अर्ह/अधिकृत कर दिया जाये जिनके द्वारा ऐसे लम्बे उपचार के लिए दिये गये परामर्श के अनुसार निर्धारित औषधियों पर हुए व्यय के बीजकों एवं बाह्य रोगी के रूप में इलाज सम्बन्धी निर्धारित अनिवार्यता प्रमाण पत्र (Essential Certificate) के सत्यापन करने पर कारपोरेशन के सक्षम स्तर पर कार्मिक द्वारा सत्यापित बीजकों आदि को प्रस्तुत किये जाने पर कारपोरेशन के सक्षम स्तर पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

निजी चिकित्सालयों की सूची

- 1- मेट्रो हास्पिटल एण्ड हार्ट इन्स्टीट्यूट, एक्स-1, सेक्टर-12, नोएडा।
- 2- डिवाईन हाट हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, विराज खण्ड-गोमती नगर, लखनऊ।
- 3- नरेन्द्र मोहन हास्पिटल एण्ड हार्ट सेण्टर, मोहन नगर, गाजियाबाद।
- 4- हार्ट लाईन कार्डियक केयर सेण्टर, 14/8, एल्लिन रोड इलाहाबाद।
- 5- हेरिटेज हास्पिटल, लंका, वाराणसी।
- 6- यशोदा हास्पिटल, एण्ड रिसर्च सेण्टर गाजियाबाद।
- 7- सरस्वती हार्ट केयर एण्ड रिसर्च सेण्टर (प्रा0)लि0, इलाहाबाद।
- 8- कैलाश हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, एच-33, सैटर-27, नोयडा।
- 9- सहारा हास्पिटल, विराज खण्ड-गोमती नगर, लखनऊ। (सुपर स्पेशियल्टी)
- 10- जसवन्त राय स्पेशियल्टी हास्पिटल, मवाना रोड मेरठ।
- 11- विवेकानन्द पालीक्लीनिक, निराला नगर, लखनऊ।
- 12- फातिमा हास्पिटल महानगर, लखनऊ।
- 13- सेन्ट जोसेफ हास्पिटल गोमती नगर, लखनऊ।



- 14- सेन्ट मैरी पालीक्लीनिक, गूडम्बा, कुर्सी रोड़, लखनऊ।
 - 15- नूर मंजिल साइक्योट्रिक सेन्टर, लालबाग, लखनऊ। (एकल विशिष्टता)
 - 16- अवध हास्पिटल, सिंगारनगर, कानपुर रोड़ आलमबाग, लखनऊ।
 - 17- चिरंजीव हास्पिटल, गोमतीनगर, लखनऊ (हृदय की मेडिसिन सम्बन्धी रोगों हेतु) (एकल विशिष्टता)
 - 18- शेखर हास्पिटल, चर्च रोड़ इन्दिरानगर, सी-ब्लॉक, लखनऊ।
 - 19- स्कार्ट ई0एन0टी0 हास्पिटल, महानगर, लखनऊ। (एकल विशिष्टता)
 - 20- प्रकाश नेत्र केन्द्र, गोमतीनगर, लखनऊ। (एकल विशिष्टता)
 - 21- टी0सी0 आई सेन्टर, गोमती नगर, पत्रकार पुरम्, लखनऊ। (एकल विशिष्टता)
 - 22- लखनऊ कैंसर इन्स्टीट्यूट, जियामऊ, लखनऊ। (एकल विशिष्टता)
 - 23- नोवा हास्पिटल, गोमती नगर, लखनऊ।
 - 24- चन्द्रा मदर एण्ड आई केयर, 4/43, विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। (एकल विशिष्टता)
 - 25- सेण्ट लूकस हास्पिटल, साकेत, मेरठ।
 - 26- लोक प्रिय हास्पिटल सम्राट पैलेस, गढ़ रोड़ मेरठ।
 - 27- धनवन्तरि जीवन रेखा हास्पिटल, 1-साकेत, मेरठ। (हृदय रोग के लिये भी)
 - 28- गंगाशील एडवान्स मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, सी-17, दीन दयाल पुरम् बरेली।
 - 29- मेट्रो हास्पिटल सेक्टर-11, नोयडा। (सुपर स्पेशियलिटी)
 - 30- फोर्टिस अस्पताल, सेक्टर-62, नोयडा। (हृदय रोग एवं नी-रिप्लेसमेन्ट हेतु)
 - 31- चाँदनी हास्पिटल, आर्यनगर, कानपुर।
 - 32- डा0 जवाहर लाल रोहतगी स्मारक नेत्र एवं एसोसिएटेड रोहतगी हास्पिटल, सर्वोदय नगर, कानपुर।
 - 33- जीवन ज्योति हास्पिटल, फाफामऊ, इलाहाबाद।
 - 34- कमला नेहरू स्मारक अस्पताल एवं रीजनल कैंसर सेण्टर, इलाहाबाद। (एकल विशिष्टता)
 - 35- नाजरथ हास्पिटल, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।
 - 36- प्रीती हास्पिटल, पन्ना लाल रोड़, इलाहाबाद।
 - 37- पुष्पांजलि हास्पिटल, देहली गेट, लायर्स कालोनी (हरिपर्वत के निकट), आगरा।
 - 38- हैप्पी फैमिली हास्पिटल, सिविल लाइन्स, झाँसी।
 - 39- विवेकानन्द हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, मुरादाबाद।
 - 40- एस्कार्ट हार्ट इन्स्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेण्टर, दिल्ली।
 - 41- इन्द्रप्रस्थ अपोलो हास्पिटल, दिल्ली।
 - 42- सरगंगा राम हास्पिटल, दिल्ली।
 - 43- ऑल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, नई दिल्ली।
 - 44- शंकर नेत्रालय, चेन्नई।
 - 45- टाटा कैंसर इन्स्टीट्यूट, मुम्बई
- ग- बाह्य रोगी के रूप में उपचार हेतु केवल औषधियों/दवाओं पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। रक्त व अन्य परीक्षण/जाँच में हुए व्यय, तथा भोजन/न्यूटीशंस वैल्यू बढ़ाने सम्बन्धी दवायें /टानिक तथा साफ सफाई सेनीटेशन आदि से सम्बन्धित व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।
- घ- बाह्य रोगी के रूप में सी0टी0 स्कैन/एम0आर0आई0 के व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती आदेशों के अन्तर्गत यथावत् अनुमन्य होगी।


22/12/11

इ- बाह्य रोगी के रूप में लम्बी अवधि तक चलने वाले उपचार हेतु अनिवार्यता प्रमाण पत्र (Essential Certificate) का प्रपत्र आदेश के साथ संलग्न है जिसमें अधिकृत चिकित्सक द्वारा रोगी का फोटो सत्यापित करना अनिवार्य है।


संलग्नक : यथोपरि।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या- 4075 -(1)-औस/2011-तददिनांक 22.12.2011

- 1- माननीय ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश, के निजी सचिव।
- 2- अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
- 3- संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 4- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)/ (वितरण) / (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/ पूर्वांचल, वाराणसी/ पश्चिमांचल, मेरठ/ दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।
- 6- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/ जॉच समिति-प्रथम/ द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
- 9- समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/ कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10- समस्त अपर सचिव/ संयुक्त सचिव/ महाप्रबन्धक/ उप महाप्रबन्धक (लेखा/ वित्त), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी (वेतन एवम् लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 11- समस्त अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव, प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 12- अधिशासी अभियन्ता (वेब), क०सं०-407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया संलग्नक चिकित्सालयों की सूची एवम् चिकित्सा दरों को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर लोड करने हेतु।
- 13- सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेंट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 14- कट फाइल।


22/12/11


(नन्द साहू) 22/12/11
निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)
N.A. Mathur
21.12.11

अनिवार्यता प्रमाण पत्र (ESSENTIALITY CERTIFICATE) का प्रपत्र

(बाह्य रोगी की हैसियत से लम्बी अवधि के उपचार के मामलों में भरा जाये।)

1. रोगी का नाम :
2. कारपोरेशन के सेवक का नाम :
3. कारपोरेशन के सेवक का वेतनमान : तथा रू0.....
(मूल वेतन रू0.....) : चिकित्सा के समय मूल वेतन।
मैं, डा0..... यह प्रमाणित करता हूँ :-

रोगी का नवीनतम फोटो
अधिकृत चिकित्सक द्वारा
प्रमाणित हस्ताक्षर व
मोहरयुक्त

1. उपर्युक्त रोगी जो/जिसका.....(बिमारी का नाम) से ग्रसित था, ने मुझे रोग के निदान हेतु दिनांक.....को सम्पर्क किया।
2. मैंने उनका गहन परीक्षण किया तथा.....(परीक्षण का नाम) हेतु उन्हें.....(चिकित्सा संस्थान का नाम व पता) से उक्त परीक्षणार्थ सन्दर्भित किया।
3. प्रश्नगत परीक्षण/उपचार के लिये चिकित्सालय में भर्ती होना अनिवार्य नहीं होता किन्तु निम्नलिखित औषधियों की रोग से छुटकारा पाने के लिये अत्यन्त आवश्यकता होती है जिससे कि टॉनिक, पौष्टिक आहार एवं प्रसाधन सामग्री सम्मिलित नहीं है :-

क्र०सं०	औषधि का नाम	मात्रा	कुल धनराशि (रू०)

कुल रू0.....

धनराशि शब्दों में.....

प्रश्नगत परीक्षण जिसका नाम.....है। मेरे परामर्शनुसार ही कराया गया, जिस पर कुल रू0.....(शब्दों.....)

व्यय हुआ, जो राजकीय दर सूची के समतुल्य है।

कारपोरेशन के सेवक के हस्ताक्षर

.....


दिनांक : 22/12/11

दिनांक :

अधिकृत चिकित्सक
(अथराइज्ड मेडिकल अटेंडेण्ट) का रबर
स्टैम्प सहित हस्ताक्षर